न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टी.ए./4911/2003/बाड़मेर

फूसाराम पुत्र धूड़ाराम भाट, निवासी भीलों की ढाणी (बारासण) तहसील गुड़ामालानी भीलों की ढाणी (राज.)

.....अपीालार्थी

बनाम

1— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, गुड़ामालानी, जिला बाड़मेर।
2— उप वन संरक्षक, वन विभाग, जिला बाड़मेर।

.....प्रत्यर्थीगण

खण्ड—पीठ
श्री मोडूदान देथा, सदस्य
श्री पंकज नरूका, सदस्य

उपस्थित :
श्री विरेन्द्र सिंह राठौड़ अधिवक्ता अपीलार्थी।
श्रीमती पूनम माथुर अति0राज0अधिवक्ता प्रत्यर्थी।

———

निर्णय

दिनांकः— 18 सितम्बर, 2019

यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर द्वारा प्रकरण संख्या 27/2003 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30—6—2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2— प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी/वादी ने न्यायालय सहायक कलक्टर एवं एस.डी.ओ., गुडामालानी जिला बाड़मेर के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि मौजा भीलों की ढाणी (बारासण) तहसील गुडामालानी में वादी के पीढ़ियों के काश्त व कब्जाशुदा खातेदारी का खेत खसरा नंबर 1245 रकबा 650 बीघा 11 बिस्वा (नया खसरा नंबर 1245/7 रकबा 625 बीघा तथा खसरा नंबर 1245 रकबा 25

बीघा 11 बिस्वा) में से 90 बीघा भूमि वाद के साथ संलग्न नक्शा में लाल रंग से दर्शाई गई भूमि है। उपरोक्त 90 बीघा भूमि पर भू–प्रबंध के पूर्व व उसके पश्चात् वादी काश्त करता आ रहा है। उक्त भूमि पर वादी की ढाणी बनी हुई है। उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या –1 द्वारा प्रतिवादी संख्या–2 को बिना वादी को नोटिस दिये आवंटित की है। अतः विवादित भूमि 90 बीघा बाबत खातेदार की घोषणा किये जाने, राजस्व रिकार्ड में तदनुसार अमल दरामद किये जाने व स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री किये जाने बाबत् उक्त वाद पेश किया है। प्रत्यर्थी/प्रतिवादी द्वारा वादी के कथनों से इन्कार किया गया तथा कथन किया विवादित भूमि का आवंटन वन विभाग को होने पर नामांतरकरण संख्या 112 आदेश दिनांक 17–5–97 से तस्दीक किया गया है। विवादित भूमि पर उनका कब्जा है तथा उन्होंने भूमि पर पौधे भी लगाए हुए हैं जिनका कार्य प्रगति पर है, जिसे वादी को रूकवाने का कोई अधिकार नहीं है। विवादित भूमि का आवंटन वन विभाग को सुपुर्द करने हेतु राजस्थन राजपत्र में दिनांक 17–02–94 को उक्त भूमि रक्षित वनक्षेत्र के रूप में सरकारी सम्पति घोषित की गई है। जवाब में यह भी कहा कि राजकीय चारागाह भूमि पर कानूनन खातेदारी का वाद नहीं चल सकता है। अतः वाद खारिज किया जावे। विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 29–03–2003 द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया। उक्त निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलार्थी ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर के समक्ष प्रथम अपील पेश की जिन्होंने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 30–6–2003 द्वारा यह अंकित करते हुए कि अपीलार्थी/वादी येनकेन प्रकरेण विवादित भूमि बाबत खातेदारी अधिकार प्राप्त करना चाहता है किन्तु समुचित साक्ष्य सबूत प्रस्तुत कर अपने वाद को सिद्ध कर पाने में असफल रहा है, अपील खारिज कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री यथावत कायम रखा है। उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 30–6–2003 से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील इस न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी द्वारा पेश की गई है।

3– हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4– विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी/वादी ने अपील–मीमों में अंकित अपील आधारों को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालयों ने पक्षकारान के अभिवचनों के अनुसार तनकीयात कायम नहीं की

है। विचारण न्यायालय द्वारा बनाई गई तनकियात आदेश 14 नियम 1 सी.पी.सी. के मुताबिक नहीं होने से अपीलार्थी अपनी डिफेन्स (प्रतिवाद) को प्रमाणित करने में भारी प्रज्यूडिस हुए, उक्त तर्क का विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर ने भी सही विवेचन नहीं किया है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने आदेश 14 नियम 2 सी.पी.सी. के मुताबिक सभी तनकियात का विधिवत निर्णय नहीं किया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय के लिए यह बाध्यकारी (मेंडेटरी) था कि वे सभी तनकियों पर विवेचन कर निर्णय करते। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय आदेश 20 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत सही निर्णय की परिभाषा में नहीं होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। उनका यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के बिन्दु संख्या 5, 5–ए और जवाबदावा के बिन्दु संख्या 7 मं वर्णित अभिवचनों पर तनकियात कायम नहीं की है। अपीलार्थी ने अपनी तरफ से पी.डब्ल्यू 1 से से पी.डब्ल्यू–5 के बयान करवाये तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में खसरा परिवर्तनशील, मौका रिपोर्ट, जमाबंदी नजरी नक्शा, ढाणी के फोटो आदि पेश किये जिसका अधीनस्थ न्यायालय में कोई विवेचन व विश्लेषण नहीं किया है है और ना ही धारा 13 व 15 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों का विवेचन किया है। उनका कथन है कि अपीलार्थी एक भूमिहीन कृषक है तथा विवादित भूमि पर अपीलार्थी की ढाणी बनी हुई है, जो भू–प्रबंध से पूर्व की है जिसमें चारों तरफ कांटों की वन विभाग की बाड़ नहीं है और न ही विवादित भूमि पर वृक्षारोपण किया गया है। उक्त तथ्यों पर अधीनस्थ न्यायालयों ने विचार में लिये बिना आक्षेपित निर्णय पारित किये है, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाकर अपीलार्थी को विवादित भूमि के खातेदारी अधिकार दिये जाने की घोषणा फरमाई जावे।

5– इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने अपनी बहस में बताया कि विवादित भूमि पर प्रतिवादी संख्या–1 राजस्थान सरकार द्वारा प्रतिवादी संख्या–2 वन विभाग को भूमि का आवंटन किया गया है, जिस पर वादी अपनी खातेदारी की घोषणा चाहता है जबकि अपीलार्थी विवादित भूमि पर अपना कब्जा बतौर टीनेन्ट राजस्थान अधिनियम के प्रभावशील होने की दिनांक 15–10–1955 से आज दिनांक तक निरन्तर होना साबित नहीं कर सका है, ऐसी स्थिति में उसका कब्जा विवादित भूमि पर अतिक्रमी की हैसियत से ही माना जाएगा।

खसरा परिवर्तनशील के अनुसार से भी उसका कब्जा 2039 से होना प्रकट होता है। एडवर्स पजेशन के आधार पर राजकीय भूमि पर कब्जा प्राप्त करने की अवधि 30 वर्ष निर्धारित है। यदि 2039 से आज दिनांक तक की अवधि की गणना भी की जाए तो 30 वर्ष की अवधि पूर्ण नहीं होती है, अतः अपीलार्थी को एडवर्स पजेशन का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकता है। यदि पुराने के कब्जे के आधार पर अपीलार्थी विवादित भूमि पर कब्जा चाहता है तो उसे राज्य सरकार द्वारा जारी पृथ्क पृथ्क परिपत्रों के अनुसरण में अलग से कार्यवाही करनी चाहिए धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत वह खातेदारी की घोषणा नहीं करा सकता है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने समवर्ती निष्कर्ष पारित किये है जिनमें द्वितीय अपील के जरिये हस्तक्षेप किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।

6— उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का आद्योपान्त अवलोकन किया गया।

7— अपीलार्थी/वादी का मुख्य तर्क है कि विचारण न्यायालय द्वारा जो तनकियात बनाई गई है वह पर्याप्त नहीं है तथा वाद पत्र के बिन्दु संख्या 5 व 5—ए तथा जवाबदावा के बिन्दु संख्या 7 में वर्णित अभिवचनों पर भी तनकियां कायम करनी चाहिए। हमने उक्त दोनों बिन्दुओं का अवलोकन किया। इन दोनों बिन्दुओं में ऐसे कोई अतिरिक्त तथ्य अंकित नहीं है जिनके आधार पर अलग से तनकियां बनाया जाना आवश्यक हो। अपीलार्थी/वादी ने दोनों अधीनस्थ न्यायालयों एवं इस न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है जिससे संवत 2012 से उसका विवादित भूमि पर कब्जा निरंतर पाया जाता हो। पत्रावली पर खसरा परिवर्तनशील संवत 2039 से उसका कब्जा पाया जाता है, जो कि एक अतिक्रमी हैसियत दर्शाता है। इसके अतिरिक्त खसरा परिवर्तनशील में कब्जा दर्ज होना भी अपीलार्थी की प्रास्थिति अधिक साबित नहीं करता है। अतः अपीलार्थी विवादित भूमि बाबत खातेदारी अधिकर प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

8— विवादित भूमि राज्य सरकार के आदेश की पालना में वन विभाग को आवंटित की गई तथा नामांतरकरण संख्या 112 दिनांक 17—5—97 वन विभगा के नाम तस्दीक किया गया है। अतः वादी अपने कथनों को दस्तावेजी साक्ष्य से अधीनस्थ न्यायालयों एवं इस न्यायालय के समक्ष सिद्ध नहीं कर पाया है कि

विवादित भूमि पर उसका कब्जा 30 वर्ष की अवधि से निरंतर चला आ रहा है। अतः हमारे विनम्र मत में एडवर्स पजेशन के आधार पर भी अपीलार्थी/वादी विवादित भूमि पर खातेदारी अधिकार घोषित कराने का अधिकारी नहीं है। राजस्व रिकार्ड में विवादित आराजी राजकीय खाते में दर्ज रही है वन विभाग को आवंटन कर दिये जाने के पश्चात् यह भूमि वन विभाग के नाम दर्ज की गई है। अगर अपीलार्थी के अनुसार विवादित भमि का आवंटन वन विभाग को किया जाना अनियमित है तो इसके लिए उसे आवंटन को निरस्त कराने के लिए सक्षम न्यायालय में विधिक कार्यवाही करनी चाहिए थी। दोनों विद्वान अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है जिनमें द्वितीय अपील के स्तर पर बिना किसी ठोस आधार के हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः द्वितीय अपील अस्वीकार कर खारिज किये जाने योग्य है।

9— परिणामतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील खारिज की जाती है तथा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30—6—2003 की पुष्टि की जाती है।

10— इस आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ अधिनस्थ न्यायालयों का अभिलेख आदेश की पालनार्थ अविलंब प्रेषित किया जावे ।

निर्णय आज दिनांक 18 सितम्बर, 2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज नरूका)
सदस्य

(मोडूदान देथा)
सदस्य